*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–02/2018 264 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–24/01/2020

विषयः– **प्रशासनिक भवन/नगर सरकार भवन के निर्माण हेतु नगर परिषद्, सहरसा को वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्वीकृत एवं आवंटित राशि की कोषागार से निकासी नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल ₹114.58 लाख (एक करोड़ चौदह लाख अंठावन हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक– 22.10.2013 के मद संख्या 03 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में राज्य के 24 नगर परिषदों एवं 55 नगर पंचायतों में नगर सरकार भवन निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। उत्तर बिहार में स्थित नगर परिषद् में कुल ₹392.92 लाख (तीन करोड़ बानवे लाख बानवे हजार रु०) एवं नगर पंचायत में कुल ₹169.56 लाख (एक करोड़ उनहत्तर लाख छप्पन हजार रु०) मात्र तथा दक्षिण बिहार में स्थित नगर परिषद् में ₹311.29 लाख (तीन करोड़ ग्यारह लाख उनतीस हजार रु०) एवं नगर पंचायतों में कुल ₹154.15 लाख (एक करोड़ चौवन लाख पंद्रह हजार रु०) मात्र के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. उक्त के आलोक में नगर परिषद्, सहरसा में प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु स्वीकृत सम्पूर्ण राशि ₹392.92 लाख (तीन करोड़ बानवे लाख बानवे हजार रु०) विभिन्न राज्यादेशों एवं आवंटनादेशों द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित किया गया था।

3. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सहरसा के पत्रांक– 1294, दिनांक– 13.11.2019 द्वारा सूचित किया गया है कि विभागीय राज्यादेश सं०– 31, दिनांक– 13.11.2013 द्वारा स्वीकृत कुल ₹125.00 लाख में से मात्र 50 प्रतिशत अर्थात् ₹62.50 लाख की ही निकासी की जा सकी थी तथा राज्यादेश सं०– 63, दिनांक– 06.02.2014 द्वारा स्वीकृत कुल ₹104.16 लाख में से मात्र 50 प्रतिशत अर्थात् ₹52.08 लाख की ही निकासी की जा सकी थी। इस प्रकार कुल ₹114.58 लाख (एक करोड़ चौदह लाख अंठावन हजार रु०) मात्र अनिकासी की राशि को पुनः आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में वरीय कोषागार पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक– 394, दिनांक– 13.11.2019 द्वारा निर्गत अनिकासी प्रमाण–पत्र भी संलग्न किया गया है।

4. तद्नुसार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सहरसा द्वारा कोषागार से निकासी नहीं की गयी राशि को वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहायक अनुदान के रूप में ₹114.58 लाख (एक करोड़ चौदह लाख अंठावन हजार रु०) मात्र की स्वीकृति निम्न तालिका के स्तम्भ– 6 के अनुरूप निम्नवत् प्रदान की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	राज्यादेश सं० /दिनांक	स्वीकृत राशि	अनिकासी की राशि	चालू वित्तीय वर्ष में आवंटित अनिकासी की राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	नगर परिषद्, सहरसा	31/13.11.2013	125.00	62.50	62.50
		63/06.02.2014	104.16	52.08	52.08
		योग	**229.16**	**114.58**	**114.58**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹114.58 लाख (एक करोड़ चौदह लाख अंठावन हजार रु०) मात्र।

5. उक्त स्वीकृत राशि ₹114.58 लाख (एक करोड़ चौदह लाख अंठावन हजार रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019 एवं पत्रांक– 733, दिनांक– 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर परिषद्, सहरसा के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

6. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

8. स्वीकृत कुल ₹114.58 लाख (एक करोड़ चौदह लाख अंठावन हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 192–नगर पालिकाओं–नगर परिषद् को सहायता, उपशीर्ष– 0101–नगर परिषदों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2217031920101,** विषय शीर्ष– 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

9. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जाएगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

10. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन का त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

11. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/ना०सु०–03–02/2018 के पृष्ठ सं०–..44....../टि० पर दिनांक–20..1..20.... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–..45......./टि० पर दिनांक–..23..1..20.... को प्राप्त है।

13. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, सहरसा/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सहरसा तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/ना०सु०–03–02/2018 204 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–24/01/2020

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, सहरसा/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सहरसा/मुख्य अभियंता, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, बुडको, सहरसा/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभगीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई0मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखा शाखा/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.01.2020

सरकार के विशेष सचिव।